

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

### अधिसूचना

सं० संख्या - 15/औ०-14-35/2019...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....

औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम-59(1) एवं नियम-67(A)(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उत्तम कुमार सिंह, सहायक औषधि नियंत्रक, औरंगाबाद को अपने कार्यो के अतिरिक्त सहायक औषधि नियंत्रक, जहानाबाद एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अरवल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/औ०-14-35/2019

/ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/औ०-14-35/2019

/ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ जिला कोषागार, जहानाबाद एवं अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/औ०-14-35/2019

/ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-15/औ०-14-35/2019

/ पटना, दिनांक-.....


प्रतिलिपि:- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल/सिविल सर्जन, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल/औषधि निरीक्षक, जहानाबाद एवं अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/औ-14-35/2019 996(15) पटना, दिनांक-.....13/8/19

✓ प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
Omair